

प्रेस नोट

दिनांक 20.07.2021

सराहनीय कार्य अमेठी पुलिस

थाना संग्रामपुर पुलिस द्वारा 01 अवैध तमंचा व 01 कारतूस 315 बोर के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार ।

जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 20.07.2021 को उ0नि0 धीरेन्द्र कुमार वर्मा चौकी प्रभारी टीकरमाफी थाना संग्रामपुर द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना पर एक मोटरसाइकिल यूपी 33 यू 4944 पर सवार अभियुक्त हृदेश पाण्डेय पुत्र अशोक कुमार पाण्डेय नि0 पूरे रामप्रसाद पंडित का पुरवा मजरे रायपुर फुलवारी थाना अमेठी को सोनारी कला मोड़ के पास से समय करीब 04:00 भोर में गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा व 01 अदद कारतूस 315 बोर बरामद हुआ । मोटरसाइकिल के कागज मांगने पर दिखा न सका । थाना संग्रामपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

- हृदेश पाण्डेय पुत्र अशोक कुमार पाण्डेय नि0 पूरे रामप्रसाद पंडित का पुरवा मजरे रायपुर फुलवारी थाना अमेठी जनपद अमेठी ।

बरामदगी-

- 01 अदद अवैध तमंचा व 01 कारतूस 315 बोर ।

पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

- मु0अ0सं0 162/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी ।
- मोटरसाइकिल यूपी 33 यू 4944 (207 एमवी एक्ट)

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 धीरेन्द्र कुमार वर्मा थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी ।
2. का0 मनीष कुमार थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी ।
3. का0 प्रमोद यादव थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी ।